रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274780
CG-DL-E-24072026-274780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948
No. 593] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 652(अ).— बीमा नियम, 1939 का अधिक्रमण करने के लिए प्रारूप नियम, उन बातों के सिवाय जो अधिक्रांत किए जाने से पूर्व बनाए गए थे अथवा जिनका लोप किया गया है, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा, जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को बीमा नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा-इन नियमों में

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य बीमा अधिनियम,1938 (1938 का 4) से है;

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों के अर्थ क्रमशः वही होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

विवरणिका, तालिकाएं और प्रस्ताव प्रपत्र

3. विवरणिकाएं और तालिकाएँ— कोई भी व्यक्ति बीमा पॉलिसी जारी करने के दृष्टिगत किसी अन्य व्यक्ति को प्रीमियम दरों से संबंधित किसी भी तरह की विवरणिका या तालिका की आपूर्ति अथवा प्रदर्शन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह की विवरणिका या तालिका में निम्नांकित शामिल न हों-

(क) बीमा द्वारा कवर की जाने वाली आकस्मिकता या आकस्मिकताओं का विवरण और इस तरह के विवरणिका या तालिका की शर्तों के अंतर्गत बीमा के लिए पात्र वर्ग या व्यक्तियों का समूह या संपत्ति के वर्ग या वर्गों का विवरण;

(ख) परिस्थितियों का संपूर्ण विवरण, यदि कोई हो, जिसमें विवरणिका या तालिका में उद्धृत प्रीमियम की छूट को प्रत्येक मामले पर लागू छूट की दरों के साथ पॉलिसी के प्रभावी या नवीनीकरण पर अनुमति दी जाएगी; और

(ग) उपधारा (1) के परन्तुक के बिना अधिनियम की धारा 41 की प्रति

4. प्रस्ताव प्रपत्र- यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा -

(क) जीवन बीमा के मामले में प्रत्येक प्रस्ताव प्रपत्र में; या

(ख) अन्य किसी वर्ग के बीमा के मामले में अनुबंध का आधार बने दस्तावेज में, यदि कोई हो, प्रीमियम की छूट की अनुमति केवल विवरणिका या प्रीमियम दरों की तालिका में या, जैसा भी मामला हो, संबंधित दस्तावेज में दिए गए विवरण के अनुसार दी जाएगी और यह कि किसी अन्य छूट की प्रस्ताव या स्वीकृति अधिनियम की धारा 41 के तहत अपराध होगी।

बीमा परिषदों की समितियां

5. बीमाकर्ताओं की सूची- प्राधिकरण भारत के राजपत्र में जीवन बीमा और साधारण बीमा परिषदों के सदस्यों की सूची प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में एक बार प्रकाशित कराएगा।

6. विघटित कार्यकारी समितियों के कर्तव्य - जब जीवन बीमा परिषद या साधारण बीमा परिषद की कार्यकारी समिति को भंग कर दिया जाता है, तो उसके निवर्तमान सदस्य, जो नई कार्यकारी समिति गठित होने तक पद धारण किए रहते हैं, इस बीच निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करने के पात्र होंगे-

(क) जीवन बीमा परिषद या साधारण बीमा परिषद, जैसा भी मामला हो, के सभी सदस्यों की सूची की प्रति को यथावत बनाए रखना और अद्यतन रखना;

(ख) समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों और व्यक्तियों के काम का पर्यवेक्षण करना;

(ग) निर्धारित शुल्क का संग्रह करना; तथा

(घ) नई कार्यकारी समिति के लिए आवश्यक चुनाव कराने के लिए अध्यक्ष और सचिव की मदद करना।

प्रमाणिक बीमा अभिकर्ता

7. धारा 41 के प्रयोजनार्थ प्रमाणिक बीमा अभिकर्ता - अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के परंतुक के प्रयोजनार्थ एक अभिकर्ता को यह साबित करने के लिए कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त अथवा नियोजित एक प्रमाणिक बीमा अभिकर्ता है, के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, नामत:-

(क) उसे स्वयं को छोड़कर छह अलग-अलग व्यक्तियों की पॉलिसियों को सुनिश्चित किया होना चाहिए और उसे ऐसे छह व्यक्तियों में से प्रत्येक से पहली पॉलिसी मांगने या प्राप्त करने अथवा अपने स्वयं की पॉलिसी के लिए प्रस्ताव करते समय से, जो भी पहले हो, इसे तब तक एक निरंतर बीमा अभिकर्ता होना चाहिए जब तक कि उन छह व्यक्तियों की पॉलिसी और अपनी स्वयं की पॉलिसी सभी जारी नहीं हो जाती; अथवा

(ख) उसे स्वयं को छोड़कर स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों के संबंध में छह पॉलिसियों को सुनिश्चित किया होना चाहिए और उसे ऐसे छह पॉलिसीधारकों में से प्रत्येक के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम के संबंध में पहली पॉलिसी मांगने या प्राप्त करने अथवा अपने स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसी का प्रस्ताव करते समय, जो भी पहले हो, तब तक एक निरंतर बीमा अभिकर्ता होना चाहिए जब तक कि उन छह पॉलिसीधारकों की पॉलिसी और स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसी सभी जारी नहीं हो जाती; अथवा

(ग) उसे स्वयं को छोडकर संपत्ति अथवा देयता से जुडे जोखिमों से संबंधित छह पॉलिसियों को सुनिश्चित किया होना चाहिए और उसे छह पॉलिसीधारकों में से प्रत्येक की संपत्ति अथवा देयता से जुडे जोखिमों से संबंधित पहली पॉलिसी मांगने या प्राप्त करने अथवा अपनी संपत्ति अथवा देयता संबंधी पॉलिसी का प्रस्ताव करते समय, जो भी पहले हो, तब तक एक निरंतर बीमा अभिकर्ता होना चाहिए जब तक कि उन छह पॉलिसीधारकों की पॉलिसी और स्वयं की संपत्ति अथवा देयता संबंधी पॉलिसी सभी जारी नहीं हो जाती।

शेयर और स्वामित्व

8. शेयरों के स्वामित्व की यथा प्रकृति घोषणा- भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय और बीमा कारबार के किसी भी वर्ग को चलाने वाली शेयरों द्वारा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को अधिनियम की धारा 6क की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) (i) के अनुसरण में एक अंतरिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा प्रपत्र I में होगी।

9. शेयरों में यथा लाभकारी हित संबंधी घोषणा- भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय और बीमा कारबार करने वाली शेयरों द्वारा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को, अधिनियम की धारा 6क की उप-धारा (5) के अनुसरण में की जाने वाली घोषणा उस व्यक्ति द्वारा जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज शेयर है, में हित निहित है, के संबंध में प्रपत्र II में होगी।

व्यय सीमा का उल्लंघन

10. अपव्ययी जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई- (1) यदि अधिनियम की धारा 64ट की उप-धारा (3) के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट,जिसे खातों से संबंधित सांविधिक विवरणियों के साथ पढे जाने पर यह प्रतीत होने पर कि संबंधित बीमाकर्ता दिवालिया है तो प्राधिकरण ऐसे बीमाकर्ता का पंजीकरण निलंबित अथवा रद्द कर सकता है और जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति से मामले की परिस्थितियों में बीमाकर्ता के कारोबार का पुनर्गठन करना संभव है या कोई अन्य बीमाकर्ता कारोबार के अधिग्रहण के लिए तैयार है, पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है।

(2) जब ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति इस मामले पर विचार करने के लिए इस प्रकार के अनुरोध की प्राप्ति के एक माह के अंदर बैठक करेगी और ऐसी बैठक के 7 दिनों के अंदर प्राधिकरण को अपने निर्णय की सूचना देगी।

(3) यदि कार्यकारी समिति उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के अंदर बैठक करने में असमर्थ है अथवा पुनर्गठन अथवा हस्तांतरण के लिए किसी भी व्यावहारिक उपाय का सुझाव देने में असमर्थ है तो प्राधिकरण जितना जल्दी हो सके, उस बीमाकर्ता के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(4) यदि धारा 64ट की उप-धारा (3) के अंतर्गत मूल्यांकन, बीमाकर्ता के दिवालिया होने का प्रकटीकरण नहीं करता है तो जांच करने वाला बीमांकक अपनी रिपोर्ट में एक विवरण संलग्न करेगा कि क्या प्रीमियम में निहित बोनस लोडिंग पर अतिक्रमण हुआ है और क्या ऐसा अतिक्रमण आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से बीमाकर्ता द्वारा अन्य मदों में किए गए किसी भी लाभ को

समायोजित करने के पश्चात किए गए अधिक व्यय के कारण है प्राधिकरण जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति से परामर्श हेतु अनुरोध कर सकता है ताकि ऐसा अतिक्रमण ना तो जारी रह सके और ना ही उसकी पुनरावृत्ति हो तथा कार्यकारी समिति ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के एक माह के अंदर बैठक करेगी एवं ऐसी संस्तुतियां करेगी, जिसे वह उचित समझे।

(5) उप-नियम (2) अथवा उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण संबंधित बीमाकर्ता को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझे और यदि बीमाकर्ता ऐसे निर्देशों का अनुपालन करता है तो निलंबित अथवा रद्द किए गए पंजीकरण का, जहां भी संभव हो, पुनरुद्धार किया जा सकता है अथवा जहां यह संभव नहीं है, बीमाकर्ता को पुनः पंजीकृत किया जा सकता है।

(6) यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण बीमाकर्ता के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

11. अपव्ययी साधारण बीमाकर्ताओं अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई- (1) अधिनियम की धारा 64ड की उप-धारा (3) के अनुसरण में, प्राधिकरण -

(क) अधिनियम के अंतर्गत साधारण बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता का पंजीकरण निलंबित अथवा रद्द कर सकता है, और

(ख) साधारण बीमा परिषद की कार्यकारी समिति से यह अनुरोध कर सकता है कि वह संबंधित बीमाकर्ता के पुनर्गठन के लिए अथवा उसके कारोबार को किसी अन्य बीमाकर्ता को हस्तांतरित करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर विचार करे।

(2) जब पूर्ववर्ती उप-नियम में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई अनुरोध, साधारण बीमा परिषद की कार्यकारी समिति को प्राप्त होता है तो वह अनुरोध प्राप्त होने के एक माह के भीतर उस पर विचार करने के लिए बैठक करेगी और ऐसी बैठक के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपने निर्णय से अवगत कराएगी।

(3) इस संबंध में प्राधिकरण, कार्यकारी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात, यदि वह उचित समझता है तो संबंधित बीमाकर्ता के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(4) सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण संबंधित बीमाकर्ता को यथोचित दिशानिर्देश जारी कर सकता है और यदि बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है तो निलंबित अथवा रद्द पंजीकरण, जहां संभव हो, पुनः बहाल किया जा सकता है और जहां संभव नहीं है, वहां बीमाकर्ता का नया पंजीकरण किया जा सकता है।

(5) यदि इन निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण बीमाकर्ता के परिसमापन हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

विविध

12. बीमा कारोबार का स्थान- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, बीमा कारोबार को भारत में किया गया माना जाएगा —

(क) यदि बीमा कारोबार, चाहे कहीं भी किया गया हो, भारत में स्थित किसी संपत्ति अथवा भारत में पंजीकृत किसी पोत अथवा विमान से संबंधित हो;

(ख) उन लेन-देन के संबंध में प्रीमियम का भुगतान, भारत में सामान्यतः जिस प्रकार किया जाता है, उसके अनुसार:

बशर्ते कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या सामान्यतः किसी प्रीमियम का भुगतान भारत के अंदर या बाहर किया गया है, तो प्राधिकरण इस प्रश्न पर निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

13. बीमाकर्ताओं के कार्यकलाप- (1) बीमाकर्ता ऐसे निवेशों के संरक्षण के लिए और ऐसे निवेशों की प्राप्ति के लिए, अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य निवेश करने के लिए आवश्यक सभी कार्य कर सकता है तथा उस संबंध में बंधक संपत्ति का अधिग्रहण कर उसे तब तक नियंत्रित कर सकता है जब तक कि इसके निपटान के लिए उपयुक्त अवसर उत्पन्न ना हो जाए।

(2) साधारण बीमा व्यवसाय करने वाला बीमाकर्ता, साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी अन्य बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के प्रभारी प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है।

14. भुगतान जहां नामिती अवयस्क है- (1) जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक, किसी भी मामले में जहां नामिती अवयस्क है, किसी भी व्यक्ति को नामिती की अवयस्कता के दौरान उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा रक्षित धन प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों को अग्रेषित करके संबंधित बीमाकर्ता को ऐसी नियुक्ति की सूचना दे सकता है, जिसे नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सहमति दर्शाने के लिए पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।

(2) ऐसी कोई भी नियुक्ति प्रभावी होने के लिए, जब तक कि वह स्वयं पॉलिसी के मूल पाठ में शामिल न हो, पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा की जाएगी।

(3) किसी भी समय ऐसी किसी भी नियुक्ति को, भुगतान के लिए पॉलिसी परिपक्व से पूर्व पृष्ठांकन अथवा आगे के पृष्ठांकन द्वारा, जैसा भी मामला हो, रद्द अथवा परिवर्तित किया जा सकता है और बीमाकर्ता को सूचित किया जा सकता है।

15. तलाशी और अधिग्रहण- (1) अधिनियम की धारा 34ज के अंतर्गत तलाशी और अधिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग उप-नियम (2) से (14) के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 34ज के प्रयोजनों के लिए, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को जो पद में उप महाप्रबंधक (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) से न्यूनतर ना हो, प्राधिकृत कर सकेगा:

बशर्ते कि ऐसा प्राधिकार -

(i) उनके हस्ताक्षर के अंतर्गत लिखित रूप में हो;

(ii) इस पर उनकी मुहर लगी हो, और

(iii) प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी भवन अथवा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा अधिनियम की धारा 34ज की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए, पुलिस अधिकारियों अथवा केंद्र सरकार के अधिकारियों अथवा दोनों की सहायता से जैसा भी अपेक्षित हो, प्राधिकृत करेगा।

(3) जब कभी तलाशी के लिए अधिकृत किसी भवन अथवा स्थान को बंद कर दिया जाता है तो ऐसे भवन अथवा स्थान में निवास करने वाला अथवा प्रभारी, कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर और उसके द्वारा अपना अधिकार पत्र दिखाए जाने पर उसे उसमें मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(4) यदि इस प्रकार के क्षेत्र अथवा स्थान में प्रवेश इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो पुलिस अधिकारियों अथवा केंद्र सरकार के अधिकारियों अथवा दोनों की सहायता जैसा भी आवश्यक हो, से प्राधिकार का निष्पादन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी हेतु विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे भवन अथवा स्थान में प्रवेश करे और उसमें तलाशी ले तथा ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिए, किसी भी भवन अथवा स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे अथवा खिड़की को तोड़ने के लिए, चाहे वह जाँच किए जाने वाले व्यक्ति का हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति का, यदि इसके प्राधिकार एवं उद्देश्य तथा प्रवेश की मांग की अधिसूचना के पश्चात, वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है:

बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई भवन अथवा स्थान, किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में एक अपार्टमेंट है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले, उस महिला को सूचना देगा कि वह निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे निकलने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा तथा फिर अपार्टमेंट को तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है।

(5) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो किसी भवन या स्थान में स्थित किसी बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य गोदाम का स्वामी है, या उस पर तत्काल कब्ज़ा या नियंत्रण रखता है, उसे खोलने और उसकी सामग्री का निरीक्षण या जांच करने के लिए प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दे सकता है, और यदि उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं या यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी उप-नियम (2) के अंतर्गत जारी किए गए प्राधिकार में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने हेतु आवश्यक समझे जाने वाली किसी भी कार्रवाई का आदेश दे सकता है, जिसमें ऐसे बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र को तोड़ना भी शामिल है।

(6) यदि किसी पुस्तक, खाते या दस्तावेज़ को जब्त करना व्यावहारिक न हो, तो प्राधिकृत अधिकारी जो इस उप-नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है, उसके अधिकारी या उसके तत्काल कब्जे या नियंत्रण

में रखने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उसे न तो हटाए, न ही उसे अलग करे और न ही उससे कोई अन्य व्यवहार करे। प्राधिकृत अधिकारी।

(7) जहाँ किसी भवन या स्थान में या उसके आसपास किसी व्यक्ति पर यह युक्तियुक्त संदेह हो कि वह अपने पास कोई पुस्तक, खाता या दस्तावेज छिपा रहा है जिसके लिए तलाशी ली जा रही है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति की भी तलाशी और वह भी ऐसी सहायता के साथ जिसे वह आवश्यक समझे, ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति महिला है, तो उसकी तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुए ली जाएगी।

(8) तलाशी लेने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी उस क्षेत्र के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों को बुलाएगा जिसमें तलाशी ली जाने वाला भवन या स्थान स्थित है, और तलाशी के दौरान उपस्थित रहने और तलाशी का साक्ष्य बनने और उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी कर सकता है।

(9) यह तलाशी उपर्युक्त गवाहों की उपस्थिति में की जाएगी और इस तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी पुस्तकों, खातों और दस्तावेजों की सूची तथा उनके मिलने के क्रमशः स्थानों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और उन गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; लेकिन तलाशी के साक्षी के रूप में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विशेष रूप से बुलाया न जाए।

(10) तलाशी के दौरान भवन या स्थान के निवासी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति और उप-नियम (9) के अंतर्गत तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे निवासी या व्यक्ति को दी जाएगी। इसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।

(11) जब किसी व्यक्ति की उप-नियम (7) के अंतर्गत तलाशी ली जाती है, तो अधिग्रहण की गई सभी पुस्तकों, खातों और दस्तावेजों की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी। इसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।

(12) प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई पुस्तकों, खातों और अन्य दस्तावेजों, यदि कोई हो, को प्राधिकरण के कार्यालय या प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य कार्यालय में भेज सकता है।

(13) प्राधिकरण या उप-नियम (12) में उल्लिखित कार्यालय का प्रभारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह उसे सौपी गई पुस्तकों, खातों और अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समझे।

(14) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण का प्राधिकार प्रपत्र संख्या III में होगा।

आस्तियों की पर्याप्तता

16. प्रीमियम का अग्रिम भुगतान—अधिनियम की धारा 64वीबी की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी पॉलिसी के संबंध में जोखिम को उस पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम प्राप्त होने से पहले ही ग्रहण किया जा सकता है: —

(i) यदि बीमा कंपनी द्वारा जोखिम स्वीकार किए जाने वाले महीने के अगले अनुवर्ती कैलेंडर महीने की समाप्ति से पहले, किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रीमियम की पूरी राशि के भुगतान की गारंटी दी जाती है, यदि उस तिथि से पहले बीमित व्यक्ति द्वारा देय प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो;

(ii) यदि बीमाकर्ता के पास बीमित व्यक्ति के नाम पर एक ऐसी अग्रिम जमा राशि जमा है, जो प्रीमियम की पूरी राशि और उस जमा राशि के बदले पहले से लिए गए अन्य जोखिमों के प्रीमियम को कवर करने के लिए पर्याप्त है; और यह सहमति बनी है कि यदि बीमित व्यक्ति उस तिथि तक प्रीमियम नहीं चुकाता है, तो इस जमा राशि को जोखिम शुरू होने वाले महीने के अगले अनुवर्ती महीने की समाप्ति से पहले प्रीमियम के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा।"

17. छूट.—(*i*) यहां उल्लिखित बीमा पॉलिसियों की श्रेणियों के संबंध में धारा 64वीबी की उप-धारा (1) की अपेक्षाओं के अंतर्गत, पॉलिसी की प्रत्येक श्रेणी की उल्लिखित सीमा तक और तरीके से ढील दी जाएगी जो उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी:

(क) सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों को जारी की गई पॉलिसियाँ--प्रस्तावक द्वारा प्रीमियम की राशि की सूचना की तिथि से 30 दिनों में या प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष मामले में निर्धारित अतिरिक्त अवधि में प्रीमियम का भुगतान करने के वचन के आधार पर ऐसी पॉलिसियों पर जोखिम को कवर किया जा सकता है।

(ख) बीमारी संबंधी बीमा, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चिकित्सा लाभ बीमा और अस्पताल में भर्ती बीमा योजनाओं के अंतर्गत पॉलिसियां - ऐसी पॉलिसियों पर प्रीमियम किस्तों में स्वीकार किए जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी विशेष अवधि को कवर करने वाली किस्त अवधि शुरू होने की तारीख से 15 दिनों में प्राप्त की जाएगी।

(ग) फिडेलिटी गारंटी बीमा - सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को कवर करने वाली फिडेलिटी गारंटी बीमा पॉलिसियां अग्रिम प्रीमियम प्राप्त किए बिना जारी की जा सकती हैं, यदि पॉलिसी किसी मौजूदा पॉलिसी का नवीनीकरण न हो और बशर्ते पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों में प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाए।

(घ) ऐसे जोखिम बीमा पॉलिसियाँ जिनमें प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय आदि से संपर्क किए बिना सटीक प्रीमियम का पता नहीं लगाया जा सकता है—यदि किसी जोखिम के लिए सटीक प्रीमियम का पता प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय से संपर्क किए बिना या किसी अन्य कारण से नहीं लगाया जा सकता है, तो बीमाधारक द्वारा या उसकी ओर से बीमाकर्ता के पास उचित दर पर जमा राशि जमा करने पर जोखिम को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामलों में प्रीमियम का भुगतान या समायोजन जोखिम की शुरुआत के तीस दिनों में किया जाना चाहिए, अन्यथा तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर जोखिम कवर रद्द कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि वाहकों की देयता को कवर करने वाली पॉलिसियों के मामले में, पॉलिसी की समाप्ति के बाद प्रीमियम का समायोजन किया जा सकता है।

(ङ) घोषणा संबंधी पॉलिसियां - *ऐसी* पॉलिसियों के संबंध में जोखिम तब स्वीकृत किया जा सकता है जब जोखिम की धारणा से पहले कम से कम बीमित राशि के 75 प्रतिशत पर गणना की गई प्रीमियम प्राप्त हो गई हो।

(च) समायोज्य प्रीमियम के आधार पर जारी की गई पॉलिसियां - समायोज्य प्रीमियम जैसे कि कामगारों का मुआवजा, पारगमन में नकद, *आदि* के आधार पर जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में जोखिम के उचित आकलन के आधार पर अनंतिम प्रीमियम की प्राप्ति पर धारण किया जा सकता है।

(छ) विमान हल, अन्य विमानन जोखिमों और मरीन हल से संबंधित वार्षिक बीमा - प्रीमियम के विलंबित भुगतान या अधिकतम चार किश्तों के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान की सुविधा, बीमाकर्ता के विवेक पर निम्नांकित जोखिमों को कवर करने वाली पॉलिसियों पर दी जा सकती है, अर्थात्-

(i) विमान हल,

(ii) मरीन हल,

(iii) यात्रियों के लिए कानूनी दायित्व,

(iv) यात्रियों के लिए स्वचालित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,

(v) विमानन जोखिमों से जुड़े मूल कवर से अधिक देयता को कवर करने वाली व्यापक पॉलिसियां,

(vi) हवाई यात्रियों और विमान हलों का युद्ध जोखिम बीमा,

(vii) विमानन जोखिमों और मरीन हलों के जोखिमों से जुड़े तृतीय पक्षकार और अन्य देयता जोखिम,

(viii) विमानन जोखिम और मरीन हल जोखिमों से जुड़ा हडताल, हिंसा और सिविल हंगामा (एसआरसीसी) जोखिम,

बशर्ते कि उस प्रभाव का एक खंड इस नीति के अनुमोदन पर लागू हो।

(ज) *विमान हलों, अन्य विमानन जोखिमों और मरीन हलों से जुड़े बीमा के संबंध में अल्पावधि कवर* – कवर किए गए हल के आधार पर अल्पावधि कवर निम्नांकित जोखिमों पर प्रदान किए जा सकते हैं, अर्थात् -

(i) विमान हल,

(ii) मरीन हल,

(iii) यात्रियों के लिए कानूनी दायित्व,

(iv) यात्रियों के लिए स्वचालित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,

(v) विमानन जोखिमों से जुड़े मूल कवर से अधिक देयता को कवर करने वाली व्यापक पॉलिसियाँ,

(vi) हवाई यात्रियों और विमान हलों का युद्ध जोखिम बीमा,

(vii) विमानन जोखिमों और मरीन हल जोखिमों से जुड़े तृतीय पक्षकार और अन्य देयता जोखिम,

(viii) विमानन जोखिम और मरीन हल जोखिमों से जुड़ा हडताल, हिंसा और सिविल हंगामा (एसआरसीसी) जोखिम जो इस शर्त के अध्यधीन है कि कैलेंडर महीने में उठाए गए जोखिमों के संबंध में प्रीमियम या अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान अगले कैलेंडर महीने के अंत तक किया जाएगा।

(झ) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी की गई *पॉलिसियां.*—एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी की गई पॉलिसियों, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बॉन्ड या गारंटी, ठेकेदारों की "ऑल रिस्क" पॉलिसियों, मशीनरी की स्थापना पॉलिसियों और इसी तरह के अन्य, प्रीमियम को कवर की अवधि के दौरान प्रथा के अनुसार आवश्यकतानुसार अधिक-कम किया जा सकता है, बशर्ते कि पहली समान किस्त किसी भी अन्य किस्त से देय कुल प्रीमियम के कम से कम 5 प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक किस्त का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाए। जहां घोषणाओं द्वारा प्रीमियम देय हैं, उनका भुगतान घोषणा प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर किया जा सकता है।

(ञ) अनुसूची और परिणामी हानि नीतियां- ऐसे मामलों में प्रीमियम के लिए एक अनंतिम राशि पिछले वर्ष के प्रीमियम के आधार पर जोखिम की शुरुआत या नवीनीकरण की तारीख से पहले संग्रहित की जाएगी।

(ट) हल के अलावा मरीन कवर—(i) अंतर्देशीय शिपमेंट और पारगमन जोखिमों के मामले में, चाय जैसी मौसमी फसलों के संबंध में खुली नीतियों के अंतर्गत उचित अनुमान के आधार पर अनंतिम प्रीमियम के भुगतान पर जोखिम उठाया जा सकता है।

(ii) विदेशों में निर्यात के मामले में, जोखिम इस शर्त के अध्यधीन उठाया जा सकता है कि प्रीमियम का भुगतान विदेशी जलयान के जलयात्रा की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

(iii) आयात के मामले में, जोखिम इस शर्त के अध्यधीन उठाया जा सकता है कि प्रीमियम का भुगतान बीमाकर्ता या विदेश में बीमित व्यक्ति के प्रतिनिधि से भारत में घोषणा प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा:

बशर्ते कि उप-खंड (*ii*) और *(iii)* के अंतर्गत छूट केवल मरीन कवर संबंधी टिप्पणियों पर लागू होगी, न कि मरीन पॉलिसियों पर।

(ठ) बीमा से संबंधित नीतियां—यह माना जाएगा कि प्रीमियम का विधिवत भुगतान किया गया है यदि सह-बीमाकर्ताओं में से किसी एक को पूर्ण बीमा पर भुगतान किया जाता है।

(*ड*) *पुनर्बीमा की नीतियां—(i)* स्वचालित पुनर्बीमा संविदाओं के अंतर्गत स्वीकार किए गए बीमा पर अग्रिम रूप से प्रीमियम के भुगतान के बिना जोखिम उठाया जा सकता है।

(ii) स्वीकृत वैकल्पिक पुनर्बीमा के मामले में, अग्रिम रूप से प्रीमियम के भुगतान के बिना जोखिम उठाया जा सकता है यदि सीडिंग बीमाकर्ता ने मूल पॉलिसी के अंतर्गत जिस महीने में प्रीमियम देय हो उसके बाद के कैलेंडर महीने की समाप्ति से पहले प्रीमियम के अपने हिस्से ,प्रीमियम की किस्त, विलंबित भुगतान के अध्यधीन प्रीमियम अथवा समायोजित प्रीमियम, जहां मूल पॉलिसी पर जमा प्रीमियम या अनंतिम प्रीमियम का भुगतान किया गया था अथवा विलंबित भुगतान के अध्यधीन प्रीमियम के मामले में विलंबित प्रीमियम ,जैसा भी मामला हो, का भुगतान करने का वचन दिया था।

(ढ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की नीतियां.—केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से देय प्रीमियम में सब्सिडी को दावे के निपटान से पहले पूरा भुगतान किए जाने पर विधिवत भुगतान किया गया माना जाएगा। *(ण) मोटर वाहन तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसियां*- "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी आपदा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं या दिशानिर्देशों के प्रभावी रहने की समयावधि के दौरान आने वाली मोटर वाहन तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण के मामले में, जोखिम को इस शर्त के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता है कि प्रीमियम का भुगतान उस समय-सीमा के भीतर किया जाए जो केंद्र सरकार या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित करे;

(त) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां- "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी आपदा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं या दिशानिर्देशों के प्रभावी रहने की समयावधि के दौरान आने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण के मामले में, जोखिम को इस शर्त के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता है कि प्रीमियम का भुगतान उस समय-सीमा के भीतर किया जाए जो केंद्र सरकार या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित करे।

[फा.सं. 12018/02/2021-बीमा II]

डॉ देबाशीष पृष्टी, अपर सचिव

अनुसूची

फॉर्म I

(नियम 8 देखें)

द्वारा

नाम ....

व्यवसाय....................... . ...

पता......................................

सेवा में

निदेशक

.... बीमा कंपनी

प्रिय श्री,

आपकी कंपनी के शेयरों की संख्या .... को मेरे नाम पर हस्तांतरित करने के मेरे अनुरोध के संबंध में, मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त शेयरों में से, मैं निम्नलिखित शेयर धारण करने का प्रस्ताव करता/करती हूं-

(1) शेयर संख्या .... अपने लाभ के लिए धारण करने हेतु

(i) (क) शेयर संख्या .... एक नामित व्यक्ति के रूप में धारण करने हेतु

(ख) संयुक्त रूप से (नाम और पता).................

(नाम)........ ....

(व्यवसाय) ....

(पता) .... के लाभ के लिए धारण करने हेतु

(ii) (क) शेयर संख्या .... नामित व्यक्ति के रूप में।

(ख) संयुक्त रूप से (नाम और पता)........ ....

(नाम).......................... . ...

(व्यवसाय) ....

(पता) ....„ .. .. के लाभ के लिए धारण करने हेतु

(iii) (क) शेयर संख्या...................... . ... नामित व्यक्ति के रूप में धारण करने हेतु

(ख) संयुक्त रूप से (नाम और पता).....................

(नाम...... .... _____

(व्यवसाय)—।........... ....

(पता)—.................. . .. . के लाभ के लिए धारण करने हेतु

(iv) (क) शेयर संख्या .... नामित व्यक्ति के रूप में धारण करने हेतु

(ख) संयुक्त रूप से (नाम और पता)......... ....

(नाम)..................... ....

(व्यवसाय) ....

(पता) .... के लाभ के लिए धारण करने हेतु

बनाया गया................................. पूर्वाह्वन/अपराह्वन. .... पर .... दिन

हस्ताक्षर

की उपस्थिति में (गवाह)

…………

हस्ताक्षर

…………

नाम और पता

टिप्पणियां— 1. यदि किसी व्यक्ति का लाभकारी हित किसी भी तरह से सीमित है, तो सीमा या लाभकारी हित को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

2. उन मामलों में इन शब्दों को हटा दें जहां नामित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शेयर धारण नहीं करता है।

3. प्रत्येक लाभकारी स्वामित्व को अलग से दर्शाया जाना है।

प्रपत्र II

(नियम 9 देखें)

प्रेषक,

(नाम)

(व्यवसाय)

(पता)

सेवा में,

निदेशक मंडल,

……………………इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमा कंपनी का नाम)

महोदय,

आपकी कंपनी के शेयर रजिस्टर में (नाम)……………, (व्यवसाय)………………, (पता)………………… के नाम पर दर्ज शेयर संख्या .... के संबंध में, मैं एतद्वारा, सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त शेयरों में से:—

(i) मैं शेयर संख्या .... का एकमात्र हितकारी स्वामी हूँ............. और मैंने .... वें दिन लाभकारी हित अर्जित किया था।

(ii) शेयर संख्या .... के संबंध में, मैं और (नाम)……………, (व्यवसाय)………………, (पता)…………… तथा (नाम)……………., (व्यवसाय)……………………, (पता)…………………… संयुक्त लाभकारी स्वामी हैं; इन शेयरों में मेरा हित .... तक सीमित है और इसे .... के .... वें दिन अर्जित किया गया था।

.... (साक्षी) की उपस्थिति में .... के दिन .... पर निष्पादित किया गया।

....

हस्ताक्षर

....

नाम और पता

....

हस्ताक्षर

मैं, …………..........., निवासी ...., जिसके नाम पर आपकी कंपनी के शेयर रजिस्टर में शेयर संख्या .... दर्ज हैं, एतद्वारा, उक्त शेयरों के संबंध में दावा किए गए हित को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और उसके प्रतीक स्वरूप उपरोक्त घोषणा को प्रतिहस्ताक्षरित किया है।

…………….. साक्षी की उपस्थिति में .... के .... वें दिन हस्ताक्षरित।

....

हस्ताक्षर

…...............

हस्ताक्षर (साक्षी)

…...............

नाम और पता

प्रपत्र III

(नियम 15 देखें)

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34ज और बीमा नियम, 2026 के नियम 15 के अधीन अधिकार-पत्र

श्री………………………………………………………………………………………..........

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

चूंकि मेरे समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई है और उस पर विचार करने के बाद, मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन …………….......... द्वारा _____________ (व्यक्ति का नाम) को एक अध्यपेक्षा (Requisition) दिनांक .... को तामील की गई थी कि वे अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें या करवाएं, और उसने ऐसी अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षित ऐसी बहियों, लेखों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में लोप किया है या असफल रहा है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन .... द्वारा .... (व्यक्ति का नाम) को एक अध्यपेक्षा दिनांक ……....... को तामील की गई थी कि वे अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें या करवाएं, और वह ऐसी अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षित ऐसी बहियों, लेखों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।

......(बीमाकर्ता का नाम) द्वारा इस अधिनियम की धारा .... के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किए जाने की संभावना है।

पॉलिसी संख्या .... के अधीन .... बीमा वर्ग में दावा संख्या ...., जिसका निपटान ......(बीमाकर्ता का नाम) द्वारा किया जाना है, उचित राशि से अधिक राशि पर निपटाया गया है या निपटाए जाने की संभावना है।

पॉलिसी संख्या .... के अधीन .... बीमा वर्ग में दावा संख्या ...., जिसका निपटान (बीमाकर्ता का नाम) द्वारा किया जाना है, को अस्वीकृत कर दिया गया है या उचित राशि से कम राशि पर निपटाया गया है, या ऐसी संभावना है।

......(बीमाकर्ता का नाम) के संबंध में एक अवैध छूट या कमीशन का भुगतान किया गया है या किया जाना संभव है।

.......(बीमाकर्ता का नाम) से संबंधित संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट बहियों, लेखों, रसीदों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, मिथ्याकरण या उन्हें गढ़े जाने की संभावना है।

और चूंकि मुझे यह संदेह करने का कारण है कि ऐसी बहियाँ, लेखे या अन्य दस्तावेज जो पूर्वोक्त विषयों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं, ... (भवन या स्थान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) में रखे गए हैं और वहां पाए जा सकते हैं।

यह आपको....... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम) प्राधिकृत करने और आपसे यह अपेक्षा करने के लिए है कि:—

(क) उक्त परिसर में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

(ख) ऐसी बहियों, खातों और दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाएं जो तलाशी के दौरान पाए जाएं और जिन्हें आप पूर्वोक्त मामलों की जांच के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक या उपयोगी समझते हों, और पहचान चिह्नों के विवरण के साथ उनकी एक सूची तैयार करें;

(ग) ऐसी बहियों, खातों की जांच करें और ऐसी लेखा बहियों और दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण तैयार करें या करवाएं;

(घ) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किन्हीं भी ऐसे बहियों, खातों या दस्तावेजों को जब्त करें और उन्हें अपने कब्जे में लें;

(ङ) ऐसी बहियों, खातों और दस्तावेजों को (कार्यालय तक) पहुंचाएं;

(च) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34ज और उससे संबंधित नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करें और अन्य सभी कार्यों का पालन करें।

आप बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34ज की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहायता हेतु किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाएं मांग सकते हैं।

....
प्राधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 652(E).— Draft rules to supersede the Insurance Rules, 1939, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 114 of the Insurance Act, 1938, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

Preliminary

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Insurance Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules,—

(1) "the Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(2) Words used but not defined in these rules have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Prospectuses, Tables and Proposal Forms

3. Prospectuses and tables.— No person shall supply or exhibit any prospectus or table of premium rates to any other person with a view to the issue of a policy of insurance unless such prospectus or table includes—

(a) a description of the contingency or contingencies to be covered by insurance and the class or classes of lives or property eligible for insurance under the terms of such prospectus or table;

(b) a full statement of the circumstances, if any, in which rebates of the premiums quoted in the prospectus or table shall be allowed on the effecting or renewal of a policy, together with the rates of rebate applicable to each case; and

(c) a copy of Section 41 of the Act but not including the proviso to sub-section (1) thereof.

4. Proposal forms.— It shall be clearly indicated —

(a) in every proposal form in the case of life insurance; or

(b) in the document, if any, forming the basis of the contract in the case of any other form of insurance, that rebate of premiums shall be allowed only in accordance with the details given in the prospectus or table of premium rates or, as the case may be, the relevant document, and that an offer or acceptance of any other rebate shall be an offence under Section 41 of the Act.

Committees of the Insurance Councils

5. List of insurers.—The Authority shall cause to be published in the Gazette of India a list of the members of the Life Insurance and General Insurance Councils once every year in the month of January.

6. Duties of dissolved Executive Committees.—When the Executive Committee of the Life Insurance Council or of the General Insurance Council is dissolved, the outgoing members thereof who continue to hold office until a new Executive Committee is constituted, shall be entitled to discharge the following duties in the meantime—

(a) keep and maintain up-to-date a copy of the list of all members of the Life Insurance Council or the General Insurance Council, as the case may be;

(b) supervise the work of officers and person(s) employed by the Committee;

(c) collect the prescribed fees; and

(d) help the Chairperson and the Secretary to conduct the necessary elections to the new Executive Committee.

Bona fide insurance agents

7. Bona fide insurance agents for the purposes of Section 41.—The conditions to be satisfied by an insurance agent to establish that it is a bona fide insurance agent employed or engaged by the insurer for the purposes of the proviso to sub-section (1) of Section 41 of the Act shall be the following, namely:

(a) It must have secured policies on six different lives excluding its own and it must have been an insurance agent continuously from the time of its soliciting or procuring the first policy on each of such six lives or proposing for the policy on its own life, whichever is earlier, till the time when the policies on those six lives and the policy on its own life have all been issued or

(b) It must have secured six number of policies in relation to risks associated with health, excluding its own and it must have been an insurance agent continuously from the time of its soliciting or procuring the first policy in relation to risk associated with health of each of such six policyholders

or proposing for the policy on its health, whichever is earlier, till the time when the policies on those six policyholders and the policy on its own health have all been issued or

(c) It must have secured six number of policies in relation to risks associated with property or liability, excluding its own and it must have been an insurance agent continuously from the time of its soliciting or procuring the first policy in relation to risk associated with property or liability of each of such six policyholders or proposing for the policy on its property or liability, whichever is earlier, till the time when the policies on those six policyholders and the policy on its own property or liability have all been issued.

Shares and Ownership

8. Declaration as to the nature of ownership of shares.—The declaration to be furnished by a transferee in pursuance of clause (*b*)(*i*) of sub-section (4) of Section 6A of the Act to a public company limited by shares having its registered office in India and carrying on any class of insurance business shall be in Form I.

9. Declaration as to beneficial interest in shares.—The declaration to be made in pursuance of sub-section (5) of Section 6A of the Act to a public company limited by shares having its registered office in India and carrying on insurance business by a person who has any interest in any of its shares standing in the name of another person shall be in Form II.

Contravention of limitation of expenses

10. Action against Extravagant Life Insurers. — (1) If it appears from the report of an actuarial valuation under Sub-section (3) of Section 64K of the Act, read with the statutory returns relating to accounts that the insurer concerned is insolvent, the Authority may suspend or cancel the registration of such insurer and request the Executive Committee of Life Insurance Council to consider whether in the circumstances of the case it is possible to have the business of the insurer reconstructed or whether some other insurer is willing to take over the business.

(2) When such a request is received, the Executive Committee of the Life Insurance Council shall meet not later than one month of the receipt of such request to consider the matter and within 7 days of such meeting shall communicate its decision to the Authority.

(3) If the Executive Committee is unable to meet within the time specified in sub-rule (2) or is unable to suggest any practical steps for the reconstruction or transfer, the Authority may as soon as may be, apply to the Court for the winding up of that insurer.

(4) If the valuation under sub-section (3) of Section 64K does not disclose the insurer to be insolvent, the actuary making the investigation shall append to its report a statement whether an encroachment on the bonus loadings contained in the premiums has occurred and whether such encroachment is due either partly or wholly to heavy expenses incurred by the insurer after giving credit for any profits made in other directions. The Authority may request the Executive Committee of the Life Insurance Council for advice so that such encroachment may neither continue nor recur and the Executive Committee shall meet within a month of the receipt of such request and make such recommendations as it deems fit.

(5) On receipt of the recommendations referred to in sub-rule (2) or sub-rule (4), the Authority may issue such directions to the insurer concerned as it deems fit and if the insurer complies with such directions, the suspended or cancelled registration may be revived wherever possible or where it is not so possible, the insurer may be registered afresh.

(6) If the directions are not complied with, the Authority may apply to the Court for the winding up of the insurer.

11. Action against Extravagant General Insurers or Reinsurers. — (1) In pursuance of sub-section (3) of Section 64M of the Act the Authority may—

(a) Suspend or cancel the registration of the general insurer or reinsurer under the Act, and

(b) request the Executive Committee of the General Insurance Council to consider practical steps for the reconstruction of the insurer concerned or for transferring its business to some other insurer.

(2) When such a request as is referred to in the preceding sub-rule is received by the Executive Committee of the General Insurance Council, it shall meet not later than one month of the receipt of such request to consider the request and within seven days of such meeting shall communicate its decision to the Authority.

(3) The Authority may, after considering the recommendations of the Executive Committee in this behalf apply to the court for the winding up of the insurer concerned if it thinks fit.

(4) On receipt of the recommendations, the Authority may issue such directions to the insurer concerned as it deems fit and if the insurer complies with such directions, the suspended or cancelled registration may be revived wherever possible or where it is not so possible, the insurer may be registered afresh.

(5) If the directions are not complied with, the Authority may apply to the Court for the winding up of the insurer.

Miscellaneous

12. Place of Insurance Business.— For the purpose of the Act, the insurance business shall be deemed to be transacted —

(a) in India, if the insurance business, wherever effected, relates to any property situate in India or to any vessel or aircraft registered in India;

(b) in India, according as the premiums in respect of those transactions are ordinarily paid in India, as the case may be:

Provided that if any question arises whether any premiums are ordinarily paid inside or outside India, the Authority shall decide the question and its decision shall be final.

13. Activities of Insurers.—(1) An insurer may do all acts necessary for making investments permissible under the Act for the protection of such investments and for the realisation of such investments and may in that connection take over and administer mortgaged property until a suitable occasion arises for its disposal.

(2) An insurer carrying on general insurance business may act as the manager in charge of a branch office of another insurer in respect of general insurance business.

14. Payment where nominee is a minor.— (1) The holder of a policy of life insurance may, in any case where the nominee is a minor, appoint any person to receive the money secured by the policy in the event of his death during the minority of the nominee, and communicate such appointment to the insurer concerned by forwarding the documents relating to such appointment which should be endorsed by the appointee to show his consent thereto.

(2) Any such appointment in order to be effectual shall unless incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy.

(3) Any such appointment may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or further endorsement, as the case may be, and communicated to the insurer.

15. Search and Seizure.—(1) The powers of search and seizure under Section 34H of the Act shall be exercised in accordance with sub-rules (2) to (14).

(2) The Authority may, after recording its reasons for doing so authorise any officer subordinate to him not lower in rank than a Deputy General Manager (hereafter in this rule referred to as the authorised officer) for the purposes of Section 34H of the Act:

Provided that such authorisation shall—

(i) be in writing under its signature;

(ii) bear its seal, and

(iii) authorise the authorised officer to enter and search any building or place specified therein, and to exercise the powers and perform the functions under sub-section (1) of Section 34H of the Act with such assistance of police officers or of the officers of the Central Government, or both, as may be required.

(3) Whenever any building or place authorised to be searched is closed, any person residing in or being in charge of such building or place shall on demand by the authorised officer and on production of the authority allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.

(4) If ingress into such holding or place cannot be so obtained it shall be lawful for the authorised officer executing the authority with such assistance of police officers or of officers of the Central Government or of both as may be required, to enter such building or place and search therein and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any outer or inner door or window of any building or place, whether that of the person to be searched or of any other person, if after notification of its authority and purpose and demand of admittance duly made, it cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public the authorised officer, shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it.

(5) The authorised officer may require any person who is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle situate in such building or place, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may cause any action to be taken including the breaking open of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified in the authority issued under sub-rule (2).

(6) The authorized officer may, where it is not practicable to seize any book, account or document, serve an order on the owner or the person who is in immediate possession or control thereof that it shall not remove, part with or otherwise deal with it except with the previous permission of the authorized officer who may take such steps as may be necessary for ensuring compliance with this sub-rule.

(7) Where any person in or about such building or place is reasonably suspected of concealing about its person any book, account or document for which search is being made, such person may also be searched by the authorized officer with such assistance as it may consider necessary. If such person is a woman, the search shall be made by another woman with a strict regard to decency.

(8) Before making a search, the authorized officer about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(9) The search shall be made in the presence of the witnesses aforesaid and a list of all books, accounts and documents seized in the course of such search and of the places in which they were respectively found shall be prepared by the authorized officer and signed by such witnesses; but no person witnessing a search shall be required to attend as a witness of the search in any proceedings under the Act unless specially summoned.

(10) The occupant of the building or place searched or some person in its behalf shall be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under sub-rule (9) shall be delivered to such occupant or person. A copy shall also be forwarded to the Authority.

(11) When any person is searched under sub-rule (7) a list of all books, accounts and documents taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. A copy shall also be forwarded to the Authority.

(12) The authorized officer may convey the books, accounts and other documents, if any, seized by him in course of the search made by him to the office of the Authority or to the office of the authorised officer or to any other office under the jurisdiction of the Authority.

(13) The Authority or the officer in charge of the office mentioned in sub-rule (12), as the case may be, shall take such steps as it may consider necessary for the safe custody of books, accounts and other documents conveyed to him.

(14) The authorisation of the Authority referred to in sub-rule (2) shall be in Form No. III.

Sufficiency of Assets

16. Advance Payment of Premiums.—For the purposes of sub-section (1) of Section 64VB of the Act, a risk in respect of a policy may be assumed before the premium payable in respect thereof is received: —

(i) if the entire amount of the premium is guaranteed to be paid by a Banking Company before the end of the calendar month next succeeding to the month in which the risk is assumed, if the premium due is not paid by the insured before that date;

(ii) if an advance deposit is made with the insurer to the credit of the insured sufficient to cover the payment of the entire amount of the premium together with the premium, if any, due from the insured in respect of any other risk already assumed against such deposit, such deposit being agreed to be adjusted towards the premium before the end of the month next succeeding to the month in which the risk is assumed, if the premium due is not paid by the insured before that date.

17. Relaxation.—In respect of the categories of insurance policies mentioned hereunder the requirements of sub-section (1) of Section 64VB shall stand relaxed to the extent and in the manner mentioned against each category of policy, subject to the conditions mentioned therein:

(a) Policies issued to Government and semi-Government bodies.—The risk may be covered on such policies on the strength of an undertaking by the proposer to pay the premium within 30 days of the date of intimation of the amount of premium or within such further period as the Authority may fix in any particular case.

(b) Policies under Sickness Insurance, Group Personal Accident Insurance, Medical Benefits Insurance and Hospitalisation Insurance Schemes. —Premiums on such policies may be accepted in instalments provided that the instalment covering a particular period shall be received within 15 days from the date of commencement of the period.

(c) Fidelity Guarantee Insurance. —Fidelity Guarantee Insurance policies covering Government and semi-Government employees may be issued without receipt of premium in advance if the policy is not in renewal of an existing policy and subject to the condition that the premium is paid within thirty days from the date of appointment of the person covered by the policy.

(d) Policies covering risks where exact premium cannot be ascertained without reference to Head Office, Principal Office, etc.—Where the exact premium for a risk cannot be ascertained without reference to Head Office, Principal Office or, for any other reason, the risk may be assumed if there is a deposit made by or on behalf of the insured with the insurer at a suitable rate but the premium in such cases shall be paid or adjusted within thirty days of the commencement of risk, failing which the cover shall be cancelled on the expiry of the period of thirty days:

Provided that in the case of policies covering Carriers' Liability, the adjustment of premium may be made after the expiry of the policy.

(e) Declaration Policies. — Risk in respect of such policies may be assumed if at least the premium calculated on 75 per cent of the sum assured has been received before assumption of the risk.

(f)Policies issued on the basis of adjustable premiums. —Risk in respect of policies issued on the basis of adjustable premiums such as workmen's compensation, cash in transit, etc., may be assumed on receipt of provisional premiums based on a fair estimate.

(g) *Annual Insurances connected with aircraft hulls, other aviation risks and marine hulls.*— Facilities for delayed payment of premium or the payment of premium by means of instalments not exceeding four in number may be allowed at the discretion of the insurer on policies covering the following risks, namely—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

(vii) third party and other liability risks connected with aviation risks and marine hulls risks,

(viii) Strikes, Riots and Civil Commotion (SRCC) risk connected with aviation risk and marine hulls risks

provided that a clause to that effect is endorsed on the policy.

(h) *Short period covers in respect of insurance connected with aircraft hulls, other aviation risks and marine hulls.*— Short period covers may be granted on a hull covered basis on the following risks, namely—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

(vii) third party and other liability risks connected with aviation risks and marine hull risks,

(viii) Strikes, Riots and Civil Commotion (SRCC) risk connected with aviation risk and marine hull risks, subject to the condition that the premium or additional premium in respect of risks assumed in a calendar month shall be paid by end of the next calendar month.

(i) Policies issued for a period of more than one year.—In the case of policies issued for a period of more than one year, such as Contract Performance Bonds or Guarantees, Contractors' "All Risk" policies, Machinery Erection policies and the like, the premium may be staggered as necessary according to custom, over the period of the cover, provided that the first equated instalment is higher than any other instalment by at least 5 per cent of the total premiums payable and each instalment is paid in advance. Where the premiums are payable by declaration, they may be paid within fifteen days from the dates of receipt of declaration.

(j) Schedule and Consequential Loss Policies.—In such cases a provisional amount towards the premium shall be collected before the date of inception or renewal of risk on the basis of the previous year's premium.

(k) *Marine covers other than Hulls*.—(*i*) In the case of inland shipments and transit risks, risk may be assumed under open policies in respect of seasonal crops such as tea, on the payment of a provisional premium based on a fair estimate.

(ii) In the case of exports overseas, risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within fifteen days from the date of sailing of the overseas vessel.

*(iii)*In the case of imports, risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within fifteen days of the receipt of declaration in India from the insurer's or insured's representative overseas:

Provided that the relaxations under sub-clauses (*ii*) and *(iii)* shall apply to marine cover notes only and not to marine policies.

(l) *Policies relating to insurances.—The* premium shall be deemed to have been duly paid if paid on the full insurance to any one of the co-insurers.

(m) *Policies of reinsurance.—(i)* Risk may be assumed without payment of premium in advance on insurances accepted under automatic reinsurance contracts.

(ii) In the case of facultative reinsurances accepted, risk may be assumed without payment of premium in advance if the ceding insurer, has given an undertaking to pay its share of the premium, instalment of premium, premium subject to delayed payment or, where a deposit premium or provisional premium was paid on the original policy, the adjusted premium, or, in the case of premiums subject to delayed payment, the delayed premium, as the case may be, before the end of the calendar month succeeding the month in which the premium is due under the original policy.

(n) *Policies of National Agriculture Insurance Scheme.*—The subsidy in premium due from Central Government or State Governments or Union Territories shall be deemed to have been duly paid, if paid in full, before the settlement of claim.

(o) *Motor vehicle third party insurance policies*.—In the case of renewal of motor vehicle third party insurance policies falling during the time-period for which notifications or guidelines issued by the Central Government in relation to a disaster under the Disaster Management Act, 2005 are in force, the risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within such time as the Central Government or the Authority, as the case may be, by notification, direct in this behalf;

(p) *Health insurance policies*.— In the case of renewal of health insurance policies falling during the time-period for which notifications or guidelines issued by the Central Government in relation to a disaster under the Disaster Management Act, 2005 are in force, the risk may be assumed subject to the condition that the premium shall be paid within such time as the Central Government or the Authority, as the case may be, by notification, direct in this behalf.

[F.No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

SCHEDULE

FORM I (See rule 8)

From

Name ....

Occupation ....

Address.....................................

To

The Director

....Insurance Co. Ltd.

Dear Sir,

In connection with my request for the transfer of Shares No……………………... of your company to my name, I hereby solemnly declare that out of the above shares, I propose—

(1) to hold Shares Nos.. . ...for my own benefit

(2) to hold

(i) (a) Shares Nos .... as a nominee.

(b) jointly with (Name and Address)………………for the benefit of

(Name).... ....

(Occupation) ... .

(Address) . .. .

(ii) (a) Shares Nos. .... as a nominee.

(b) jointly with (Name and Address) .... for the benefit of

(Name) ....

(Occupation) ... .

(Address) . .. . ,, ...

(iii) (a) Shares Nos .... as a nominee.

(b) jointly with (Name and Address)………….. for the benefit of

(Name...... .... _____

(Occupation)—. ... ...

(Address)—.... . . ..

(iv) (a) Shares Nos .... as a nominee.

(b) jointly with (Name and Address)……… for the benefit of

(Name) ....

(Occupation) ....

(Address) ....

Made at .... A.M./P.M. . on …………day the ……..... at ....

Signature

In the presence of (Witness)

…………

Signature

…………

Name and Address

Notes.— 1. If the beneficial interest of any person is limited in extent in any way, the extent or beneficial interest should be clearly stated.

2. Strike off these words in cases where the nominee does not hold the shares jointly with any other person or persons.

3. Each beneficial ownership is to be stated separately.

FORM II

(See rule 9)

From

(Name) .... (Occupation)

.... (Address) .....

....

To

The Directors,

.... Insurance Co. Ltd

Dear Sir,

In connection with shares No……….of your company standing in your share register in the name of (name) .... (occupation) ......(address) ……………., I hereby solemnly declare that out of the above shares:—

(i) I am the sole beneficial owner of shares No. ………..and I acquired the beneficial interest on the ………….day of ..

(ii)in respect of shares No………... .... I and (name) (occupation)……… (address) and (name) .... (occupation) (address)……………

.... are joint beneficial owners, my interest in these shares being limited to .... and was acquired on the .... day of

....

Made on ... . day the .. .. at .... in presence of (witness)

……….

Signature

………….

Name and Address

………….

Signature

I .... of .... in whose name the shares No. . ... of your company stand in your share register, hereby, recognise in full the interest claimed in respect of the said shares and in token thereof have countersigned the above declaration.

Signed on the……………… .... day of the……………

…………..

Signature. In the

presence of Witness

……………

Signature.

……….. Name and Address

FORM III

(See rule 15)

WARRANT OF AUTHORISATION UNDER SECTION 34H OF

INSURANCE ACT, 1938 AND RULE 15 OF THE INSURANCE RULES, 2026

Shri.......... .. ..

(Name and Designation of the Officer)

Whereas information has been laid before me and on the consideration thereof, I have reason to believe that

a requisition under sub-section (2) of section 33 of the Insurance Act, 1938 by………. to_____________ (name of the person) was served on ..... …….(date) to produce or cause to be produced the books, accounts and other documents specified in the requisition and it has omitted or failed to produce or cause to be produced such books, accounts or other documents as required by such requisition.

a requisition under sub-section (2) of section 33 of the Insurance Act, 1938 by……………..to……………… (name of the person) was served on……(date) to produce or cause to be produced the books, accounts and other documents specified in the requisition and it will not produce or cause to be produced such books, accounts or other documents as required by such requisition.

a contravention of the provisions of section ....of this Act has been committed or is likely to be committed by .... (Name of insurer).

Claim No .... under Policy No ... .in the class of …………insurance business which is due to be settled by .... (Name of insurer) has been or is likely to be settled at a figure higher than a reasonable amount.

Claim No. .... under Policy No…………….in the class of………. insurance business which due to be settled by .... (Name of insurer) has been or is likely to be rejected or settled at a figure lower than a reasonable amount.

An illegal rebate or commission has been paid or is likely to be paid by ………… in respect of .... (Name of insurer.)

The books, accounts, receipts, vouchers, survey reports or other documents specified in the attached list belonging to............ . (Name of the insurer) are likely to be tampered with, falsified or manufactured.

And whereas I have reason to suspect that such books, accounts or other documents as are necessary for the purposes of investigation of matters aforesaid, have been kept and are to be found at .... (specify particulars of the building or place).

This is to authorize and require you .... (name of authorized officer)— (a) to enter and search the said premises;

(b) to place identification marks on such books, accounts and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the purposes of or the investigation of matters aforesaid and to make a list thereof together with particulars of the identification marks;

(c) to examine such books, accounts and make, or cause to be made, copies or extracts from such books of accounts and documents;

(d) to seize any such books, accounts or documents, found as a result of such search and take possession thereof;

(e) to convey such books, accounts and documents to (Office)

(f) to exercise all the powers and perform all other functions under section 34H of the Insurance Act, 1938, and the rules relating thereto.

You may requisition the services of any policy officer or any officer of the Central Government, or of both to assist you for all or any of the purposes specified in sub-section (1) of section 34H of the Insurance Act, 1938.

…………………..

Authority

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 653(अ).— बीमा (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (2) के खण्ड (ठक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनसे इनके प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा,जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को बीमा (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा (न्यायनिर्णयक अधिकारी द्वारा जांच कराने संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2016 में, नियम 4 में,

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) शब्दों, आंकड़ों, अक्षरों और कोष्ठकों "अथवा धारा 42घ की उप-धारा (8) और (9)" का लोप किया जाएगा;

(ख) शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों "अथवा धारा 105ख" के पश्चात शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों "अथवा धारा 105खक" अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में, उप- खण्ड (ii) में, -

(क) " मध्यवर्ती " शब्द के स्थान पर, "बीमा मध्यवर्ती" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (5) में, -

(क) शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11)" के स्थान पर शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.12018/02/2021-बीमा-II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.178 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 653(E).— Draft rules to amend the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016, in rule 4,

(i) in sub-rule (1), -

(a) the words, brackets, figures and letters "or sub-sections (8) and (9) of section 42D" shall be omitted;

(b) after the words, figures and letters "or section 105B" the words, figures and letters "or section 105BA" shall be inserted.

(ii) in clause (b) of sub-rule (2), in sub-clause (ii), -

(a) for the word "intermediary", the words "insurance intermediary" shall be substituted.

(iii) in sub-rule (5), -

(a) for the words, brackets and figures "Evidence Act, 1872 (11 of 1872)", the words, brackets and figures "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023)" shall be substituted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 178(E), dated the 17th February, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 654(अ).— जीवन बीमा निगम साधारण नियम, 1956 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा, जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—

(1) इन नियमों को जीवन बीमा निगम साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जीवन बीमा निगम साधारण नियम,1956 में (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित किया गया है), नियम 14 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 15 का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 16 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 18 में, उप नियम (ii) में, -

(क) स्पष्टीकरण 1 में, "चौथी अनुसूची भाग II" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में , "तीसरी अनुसूची से प्रारूप च से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 19 में, "का खंड (क)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12018/02/2021-बीमा.II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सां.वि.आ. 1889क, तारीख 28 अगस्त 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317, तारीख 30 अप्रैल 1958, सा.का.नि 1101, तारीख 8 नवंबर 1958, सा.का.नि 1568, तारीख 23 अक्तूबर 1964, सा.का.नि 1094, तारीख 22 जुलाई 1965, सा.का.नि 1116(अ), तारीख 2 दिसंबर 1988, सा.का.नि 278(अ), तारीख 28 मई 1997, सा.का.नि.474(अ), तारीख 23 जुलाई, 2004, सा.का.नि. 669(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2, तारीख 3 जनवरी 2012, सा.का.नि.199, तारीख 24 अक्तूबर ,2015, सा.का.नि. 96(अ), तारीख 10 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 30 जून, 2021, सा.का.नि.171(अ), तारीख 3 मार्च, 2022 और सा.का.नि. 59(अ), तारीख 27 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 654(E).— Draft rules to amend the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement**.—**

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation General (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), rule 14 shall be omitted.

3. In the said rules, rule 15 shall be omitted.

4. In the said rules, rule 16 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (ii), -

(a) In Explanation 1, the words "Part II of the Fourth Schedule to" shall be omitted;

(b) In Explanation 2, the words "Form F of the Third Schedule to" shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 19, the words and brackets "clause (a) of" shall be omitted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.R.O. 1889A, dated the 28th August, 1956 and were subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 317, dated the 30th April, 1958, G.S.R. 1101, dated the 8th November, 1958, G.S.R. 1568, dated the 23rd October, 1964, G.S.R. 1094, dated the 22nd July, 1965, G.S.R. 1116(E), dated the 2nd December, 1988, G.S.R. 278(E), dated the 28th May, 1997, G.S.R. 474(E), dated the 23rd July, 2004, G.S.R. 669(E), dated the 26th October, 2006, G.S.R. 2, dated the 3rd January, 2012, G.S.R. 199, dated the 24th October, 2015, G.S.R. 96(E), dated the 10th February, 2020, G.S.R. 460 (E), dated the 30th June, 2021, G.S.R. 171 (E), dated the 3rd March, 2022 and G.S.R. 59 (E), dated the 27th January, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 655(अ).—भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा,जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में, जहाँ भी “मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती” शब्द आए हैं, उनकी जगह "बीमा मध्यवर्ती " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.12018/02/2021-बीमा-II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

नोट: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i), अधिसूचना संख्या सा.का.नि.115 (अ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 314 (अ), तारीख 16 मार्च, 2016, सा.का.नि. 619 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 337(अ), तारीख 19 मई, 2021 और सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 655(E).—Draft rules to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, read with section 3AA of the said Act, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, for the words "intermediary or insurance intermediary" wherever they occur, the words "insurance intermediary" shall be substituted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 115 (E), dated the 19th February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016, G.S.R. 619(E), dated the 2nd September, 2019, G.S.R. 337(E), dated the 19th May, 2021 and G.S.R. 928(E), dated the 30th December, 2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA